न्यायालय अनुमंडल पदाधिकारी, महागामा

पी0ए0 केश नं0– 03/17–18

फुलन महतो बनाम् रैयान मौजा–कोलबड्डा

(4)

–: आदेश :–

2-18

वर्तमान प्रकिया आवेदिका फुलन महतो, पति–किशोर कुमार, सा0–कोलबड्डा, अंचल–ठाकुरगंगटी, जिला–गोड्डा के आवेदन पर मौजा–कोलबड्डा नं0–177 का प्रधान बहाली हेतु प्रारंभ किया गया है।

आवेदक के विज्ञ अधिवक्ता को सुना एवं अभिलेख में संलग्न कागजात का आवलोकन किया ।

अंचल अधिकारी, ठाकुरगंगटी ने अपने पत्रांक–229/रा0, दिनांक–10.05.2018 द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि आवेदिका फुलन महतो मौजा–कोलबड्डा नं0–177, जमाबंदी नं0–14 के खतियानी रैयत जीतू महतो की पौत्रवधु है। आवेदिका पूर्व प्रधान की वंशज नहीं है। वर्त्तमान में मौजा खास है। आवेदिका फुलन महतो, पति–किशोर कुमार को संथाल परगना काश्तकारी (पूरक) अधिनियम, 1949 की धारा 5 के तहत मौजा–रंगाईचक के प्रधान बहाली हेतु अनुशंसा किया गया है। अंचल अधिकारी, ठाकुरगंगटी के अनुशंसा के आलोक में डी0बी0 नं0–205/रा0न्या0, दिनांक–10.11.2018 के द्वारा 16आना रैयतों को नोटिस तामिला कराकर आपत्ति की मांग की गई है। किसी पर रैयत के द्वारा निर्धारित तिथि तक आवेदिका फुलन महतो, पति–किशोर कुमार के विरूद्ध आपत्ति नहीं दिया गया है तथा किसी भी प्राधिकार द्वारा संथाल परगना काश्तकारी (पूरक) अधिनियम, 1950 की अनुसूची–V के अनुसार निदेशित अयोग्यताओं के आलोक में अयोग्य मानने का अनुरोध नहीं किया है या प्रतिवेदन नहीं दिया गया है।

अतः उपरोक्त तथ्यों के आलोक में संथाल परगना काश्तकारी (पूरक) अधिनियम, 1949 की धारा–5 तथा संथाल परगना काश्तकारी (पूरक) नियम 1950 की अनुसूची–V के आलोक में आवेदिका फुलन महतो, पति–किशोर कुमार, सा0–कोलबड्डा, अंचल–ठाकुरगंगटी, जिला–गोड्डा को मौजा–कोलबड्डा नं0–177 का प्रधान नियुक्त किया जाता है। नवनियुक्त प्रधान को आदेश दिया जाता है कि निर्धारित सुरक्षित जमा के आलोक में एक वर्ष का खजाना कोषागार में जमाकर चलान की प्रति के साथ संथाल परगना काश्तकारी (पूरक) अधिनियम, 1950 की धारा–7 के तहत् कबूलियत और जमानत दाखिल कर पट्टा प्राप्त करेंगे।

Seen
6/12/18

लेखापित।

06.12.18

अनुमंडल पदाधिकारी,
महागामा।

06.12.18

अनुमंडल पदाधिकारी,
महागामा।

F/Order.